

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर


क्रमांक एफ 12 (91)आयो/निकाशि /2011/ 2033

दिनांक 11 सितम्बर, 2019

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :- राजकीय महाविद्यालयों में कक्षा कक्षों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, चारदीवारी एवं प्रशासनिक भवन निर्माण तथा छात्रावासों व स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत एवं खेल मैदान इत्यादि के निर्माण के संबंध में।


उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना विकास यथा प्रयोगशाला, कक्षा-कक्ष, पुस्तकालय भवन एवं चारदीवारी का निर्माण, खेल मैदान समतलीकरण, स्पोर्ट्स कोर्ट/ कॉम्प्लेक्स निर्माण तथा महाविद्यालयों के भवनों एवं छात्रावास की मरम्मत इत्यादि के निर्माण विभिन्न स्रोतों यथा RSMML / TAD / DMFT/ CSR /MLALAD/ MPLAD इत्यादि से फण्ड प्राप्त कर आवश्यकतानुसार नवीन निर्माण / मरम्मत कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।


(प्रदीप कुमार बोरड़)

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 निजी सचिव आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 2 समस्त सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, को सूचनार्थ।
- 3 वेबप्रभारी कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड बाबत।



(डॉ. दीपाली भार्गव)

संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा राज., जयपुर